

राजस्थान - सरकार

शिक्षा - विभाग

निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ20(101/31) आयो/निकाशि/2012-13/ 191

दिनांक 06 जून, 2012

मुख्य अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान जयपुर

विषय :- 5 राजकीय महाविद्यालयों में बी एड पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु निर्माण कार्य किये जाने बाबत।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2012-13 के पैरा संख्या 141 की अनुपालना में वर्ष 2012-13 में ग्रामीण क्षेत्रों के 5 राजकीय महाविद्यालयों (कालाडेरा, चिमनपुरा, खेरवाडा भोपालगढ़ एवं नसीराबाद) में बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने की संबंधी घोषणा की क्रियान्विति हेतु निर्माण कार्य हेतु 250.00लाख रु की राशि का आवंटन किया जाता है। यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई डी संख्या 101201656 दिनांक 29.5.2012 की सहमति के आधार पर उक्त कार्य करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त राशि का आहरण निम्न लिखित बजट मद से किया जाना है।

बजट मद

मांग संख्या 19

4202 - 01 - 203 --(01) (90) -17 (आयोजना)

(राशि लाखों में)

क्र स	महाविद्यालय का नाम	आवंटित राशि	विशेष विवरण
1	राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा	50.00	भवन निर्माण
2	राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा	50.00	भवन निर्माण
3	राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़	50.00	भवन निर्माण

बजट मद

मांग संख्या 51

4202 - 01 - 789 --(02) (90) -17 (आयोजना)

(राशि लाखों में)

क्र स	महाविद्यालय का नाम	आवंटित राशि	विशेष विवरण
1	राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद	50.00	भवन निर्माण

बजट मद

मांग संख्या 30

4202 - 01 - 796 --(02) (90) -17 (आयोजना)

(राशि लाखों में)

क्र स	महाविद्यालय का नाम	आवंटित राशि	विशेष विवरण
1	राजकीय महाविद्यालय खेरवाडा	50.00	भवन निर्माण

(अक्षरे दौ करोड़ पचास लाख रु मात्र)

(सुबीर कुमार)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक एफ20(101/31) आयो/निकाशि/2012-13/ 191

दिनांक 06 जून, 2012

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर ।
- 2 संबंधित प्राचार्यों को भेजकर लेख है कि उक्त निर्माण कार्य हेतु संबंधित सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्पर्क कर शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही करे।
- 3 डा धीरेन्द्र देवर्षि (व्याख्याता प्रभारी वेबसाइट) कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को लेख है कि उक्त स्वीकृति को वेबसाइट पर अपलोड करवाये।

संयुक्त निदेशक